प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (P.M.F.B.Y)
सुरक्षित करे आपकी फसलें, सुरक्षित करे आपका भविष्य
एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड के ज़रिए

HDFC ERGO
Take it easy!

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पी.एम.एफ.बी.वाई.) का लक्ष्य है, किसान बंधुओं को बीमा संरक्षण प्रदान करना ताकि प्राकृतिक आपदाओं कीटों और बीमारियों के हमलों के कारण किसी अधिसूचित फसल की विफलता की दशा में उन्हें आर्थिक सहयोग मिल सके।

इस प्रकार यह योजना किसानों की आमदनी को एक स्थिरता दे रही है तथा उन्हें अपनी खेती को जारी रखने और खेती के नए–अनूठे व आधुनिक तौर–तरीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है।

कौन इसका फ़ायदा ले सकता है?

सभी किसान, जिसमें साझे पर और बटाई पर अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसलों की खेती करने वाले भी शामिल हैं, इस संरक्षण के पात्र हैं। लेकिन किसानों का अधिसूचित/बीमित फसलों पर बीमाहित होना चाहिए. ऋ णी किसानों के लिए यह बीमा संरक्षण लेना अनिवार्य है।

क्या संरक्षित है?

फसल की निम्नलिखित अवस्थाएं और फसल की संभावित हानियों के जोखिम योजना के अंतर्गत संरक्षित हैं।

- **बुआई/रोपाई के जोखिम से बचाव:** बीमित क्षेत्र के प्रतिकू ल मौसम दशाओं के कारण बुआई / रोपाई के जोखिम से बचाया गया हैं।
- **खड़ी फसल:** अकाल, सूखे के दौर, बाढ़, जलमग्नता, कीटों और बीमारियों, भूस्खलन, प्राकृतिक आग तथा आसमानी बिजली (तड़ित), आंधी, ओलावृष्टि चक्रवात, तूफान, बवंडर, झंझावात और प्रभंजन के विरूद्ध व्यापक जोखिम संरक्षण बीमा प्रदान किया गया है।
- **फसल कटाई/तुड़ाई के बाद की हानियां:** जिन फसलों को फसल क टाई के पश्चात खेत में फैलाना और सुखाना पड़ता है उन्हें चक्रवाती बारिश और बेमौसम की बरसात की विशेष आपदाओं के विरूद्ध फसल क टाई के पश्चात केवल 2 हफ्तों की अधिकतम अवधि के लिए संरक्षण उपलब्ध है।
- **स्थानीय आपदा:** ओलावृष्टि, भूस्खलन तथा जलमग्नता के पहचाने गए स्थानीय जोखिमों के घटित होने के फल स्वरूप हानि/क्षति।

संरक्षण और दावों के लिए पूर्व-अपेक्षाएं

- **आपदा का व्यापक फैलाव (मौसम की समाप्ति पर पैदावार के आधार पर):** 'एरिया एप्रोच' के आधार पर संचालित होता है और दावे की गणना राज्य सरकार द्वारा किए गए फसल कटाई प्रयोग के आधार पर की जाती है।
- **दावो का 'ऑन अकाउन्ट' भुगतान:** यह उस फसल के लिए लागू होता है जहां मौसम में अपेक्षित पैदावार <50% की संभावना हो तथा अधिकतम देय राशि संभावित दावों की 25% के समान होती है. यह प्रावधान राज्य सरकार द्वारा प्रॉक्सी इंडिकेटर्स जैसे कि बरसात के आंकड़े, मौसम संबंधी अन्य आंकड़े, उपग्रह से प्राप्त चित्रों के आधार पर क्षति की अधिसूचना के द्वारा किया जाता है. अगर सामान्य फसल कटाई/तुड़ाई के 14 दिनों के बाद प्रतिकूलता घटित होती है तो यह प्रावधान लागू नहीं होगा।
- **बचाव/विफल बुआई/रोपाई/अंकुरण के दावे:** यह व्यापक घटना के कारण सामान्य बुआई क्षेत्र की 75% से अधिक फसल के प्रभावित होने के लिए है। ऐसे में संभावित दावों के अधिकतम 25% राशि देय होगी। यह प्रावधान राज्य सरकार द्वारा प्रॉक्सी इंडिकेटर्स जैसे कि बरसात के आंकड़े, मौसम संबंधी अन्य आंकड़े, उपग्रह से प्राप्त चित्रों के आधार पर क्षति की अधिसूचना के द्वारा किया जाता है। अगर सामान्य फसल कटाई/तुड़ाई के 15 दिनों के बाद प्रतिकूलता घटित होती है तो यह प्रावधान लागू नहीं होगा. प्रावधान नियत तिथि से लागू होंगे. दावों का भुगतान प्रावधान के लागू होने तथा पूरी सब्सिडी की प्राप्ति के बाद 30 दिनों के अंदर कर दिया जाएगा।
- **फसल कटाई/तुड़ाई के बाद की हानियां/स्थानीय जोखिम:** इसका संचालन अलग व्यक्तिगत आधार पर किया जाता है। बीमाधारक द्वारा तुरन्त 48 घंटों के अंदर सूचना दी जानी चाहिए. सूचना में बीमित फसल और प्रभावित क्षेत्र का विवरण होना चाहिए। साक्ष्य के रूप में पूरी तरह भरा हुआ दावा फॉर्म सात दिनों के अंदर जमा कराया जाना चाहिए।

अऋणी कृषकों हेतु दस्तावेज:

- आधार कार्ड की प्रति
- पूर्णत: भरा हुआ प्रस्ताव पत्र
- जमीन बंटाई का शपत्र पत्र (बंटाईदार होने पर)
- नवीनतम गिरदावरी की नकल
- बैंक खाते की पास बुक की प्रति जिसमें (IFSC Code) व खाता संख्या अंकित हो या खाते की रद्द (Cancelled) चेक
- बुवाई प्रमाण पत्र, कृषि या राजस्व विभाग के कार्मिकों द्वारा जारी
- ऋणी किसानों को बैंक द्वारा अनिवार्य रूप से बीमित किया जाएगा

प्रीमियम एवं बीमित राशि				
मौसम	**जिला**	**अधिसूचित फसल**	**बीमित राशि (रू./हैक्टेयर)**	**कृषक द्वारा देय प्रीमियम राशि (रू./हैक्टेयर)**
रबी	जैसलमेर	जीरा	38500	1925.00
		चना	27500	412.50
		ईसबगोल	17750	887.50
		सरसों	31750	476.25
		गेंहु	44000	660.00
रबी	सीकर	जौं	47500	712.50
		चना	34250	513.75
		मैथी	29000	1450.00
		सरसों	38750	581.25
		गेंहु	56500	847.50
रबी	टोंक	जौं	31680	475.20
		जीरा	39600	1980.00
		चना	28160	422.40
		सरसों	33440	501.60
		तारामीरा	22000	330.00
		गेंहु	44000	660.00
रबी	जयपुर	जौं	45000	675.00
		चना	37000	555.00
		मैथी	34000	1700.00
		सरसों	35000	525.00
		तारामीरा	20000	300.00
		गेंहु	55000	825.00
रबी	पाली	जौं	31000	465.00
		जीरा	41000	2050.00
		चना	26000	390.00
		ईसबगोल	26000	1300.00
		मैथी	27710	1385.50
		सरसों	29000	435.00
		तारामीरा	13000	195.00
		गेंहु	37000	555.00
रबी	प्रतापगढ	जौं	45120	676.80
		चना	36960	554.40
		ईसबगोल	49000	2450.00
		मसूर	31450	471.75
		मैथी	43200	2160.00
		सरसों	38400	576.00
		गेंहु	62460	936.90

बीमा करानें की अन्तिम तिथि: 31 दिसंबर 2018

योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए बैंक शाखा/कृषि अधिकारी/सी एस सी सेन्टर/बीमा कंपनी में संपर्क करें 1800 2660 700

एचडीएफसी अर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। (पूर्वकालीन एचडीएफसी जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड)। सीआइएन: U66030MH2007PLC177117 । पंजीकृत एवं कॉर्पोरेट ऑफीस: 1ली मंज़िल, एचडीएफसी हाउस, 165–166 बैकबे रेक्लेमेशन, एच. टी. पारेख मार्ग, चर्चगेट, मुंबई – 400 020 । कस्टमर सर्विस का पता: डी–301, 3री मंज़िल, ईस्टर्न बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट (मैग्नेट मॉल), एलबीएस मार्ग, भांडुप (पश्चिम), मुंबई – 400078 । टोल–फ्री: 1800 2 700 700 (सिर्फ भारत से उपलब्ध)। फ़ैक्स: 91 22 66383699 । care@hdfcergo.com । www.hdfcergo.com । जोखिम के कारकों, नियमों व शर्तों के विषय में अधिक जानकारी के लिये कृपया बिक्री पूरी करने से पहले सेल्स ब्रोशर/प्रोस्पेक्ट्स ध्यान से पढ़ें। ऊपर दिया गया ट्रेड लोगो एचडीएफसी लिमिटेड और अर्गो इंटरनेशनल एजी की संपत्ति है, जिसका इस्तेमाल कंपनी द्वारा लाइसेंस के अधीन किया जा रहा है। UIN: Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana - IRDAN125P0003V01201617 । UID No.: 2846 । IRDAI Reg. No. 146.